भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .221
29 जनवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता

221. श्री नीरज मौर्यः
श्री देवेश शाक्यः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत एटा-कासगंज, आंवला औ जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त, स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी है तथा वास्तव में स्थापित/उन्नत की गई इकाइयों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या कई पात्र लाभार्थी बैंक ऋण की मंजूरी में देरी, तकनीकी सहायता की कमी या बाजार संपर्कों की कमी के कारण योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार उपरोक्त संसदीय क्षेत्रों में उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समीक्षा और समयबद्ध उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत देश भर में सूक्ष्म खाद्य उद्यम के लिए पात्र वित्तीय सहायता का विवरण, जिसमें एटा-कासगंज, आंवला और जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, **अनुबंध-I** में है। गत तीन वर्षों में इन निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त, स्वीकृत और वितरित किए गए कुल आवेदन -पत्रों का ज़िले-वार विवरण **अनुबंध -II** में है ।

(ग):ऋण देने वाले बैंकों से स्वीकृति की सफलता दर 42% है, जो सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकांश क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के समान है। बैंक अपनी नीतियों के आधार पर परियोजनाओं को मंज़ूरी देते हैं, लेकिन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए ऋण देने वाले बैंकों और राज्य सरकार के साथ नियमित बैठक होती हैं। मौजूदा इकाइयों को उन्नत करने या नई सूक्ष्म इकाई लगाने के लिए 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाता है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाई की

एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों को 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी ,स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रारंभिक पूंजी, इनक्यूबेशन सेंटर, सामान्य बुनियादी ढांचा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता देती है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के तहत एसएचजी,एफपीओ,सहकारी समितियों, या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एसपीवी) के समूहों को पात्र परियोजना लागत का 50% तक अनुदान दिया जाता है। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, पैकेजिंग और उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंड का पालन करने के साथ एक कॉमन ब्रांड बनाने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

इसके अलावा, राज्यों द्वारा जिला स्तर पर जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) को भी नियुक्त किया जाता है ताकि लाभार्थियों को लगातार सहायता मिल सके।

(घ):पीएमएफएमई के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण के तहत, मौजूदा इकाइयों को उन्नत करने या नई सूक्ष्म इकाइयों को लगाने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के द्वारा सहायता दी जाती है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह योजना एसएचजी/ एफपीओ/ सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाई को 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रारंभिक पूंजी, इनक्यूबेशन सेंटर, सामान्य बुनियादी ढांचा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और क्षमता निर्माण के लिए भी सहायता देती है।

यह योजना अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के द्वारा सहायता अनुदान देती है ताकि सीमित बाजार पहुंच वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अपने उत्पादों की दृश्यता और विक्रय बढ़ाने में मदद मिल सके। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं के साथ रणनीतिक गठजोड़ के ज़रिए प्राप्त किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के तहत समर्थित इकाइयां द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

(ङ): मंत्रालय ऋण देने वाले बैंकों और राज्य सरकार के साथ नियमित बैठक करता है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां को जो समस्याएं आ रही हैं, उन्हें वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भी उठाया जाता है ताकि कार्यान्वयन मे आने वाली चुनौतियों पर चर्चा और उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा, राज्य सरकार समय-समय पर राज्य और ज़िला स्तर पर समीक्षा बैठक भी करती है।

पीएमएफएमई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के द्वारा मोनिट्रिंग को और मज़बूत किया जाता है, जो प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों, वितरित धनराशि और इकाई स्तर के परिणाम का जिले-वार डेटा एकत्र करती है।

अनुबंध1-

दिनांक 29 जनवरी,2026 को उत्तर हेतु "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम के अंतर्गत (पीएमएफएमई) उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

)i) ***व्यक्तिगत समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को/सहायता :*** पात्र परियोजना लागत का 35% ऋणलिंक्ड पूंजी - सब्सिडी, अधिकतम सीमा लाख रुपये प्रति इकाई 10।

)ii) ***प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता*** .फूड प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के हर सदस्य के लिए कार्यशील पूंजी और छोटे औज़ार खरीदने के लिए प्रारंभिक पूंजी रु40.,000/-की दर से, जो हर एसएचजी संघ के लिए अधिकतम रु लाख 4 .रुपये के अध्यधीन होगी।

)iii) ***सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता :*** एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना बनाने में सहायता करने के लिए, पत्र परियोजना लागत के35 % की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम रु. करोड़ 3 की राशि होगी। सामान्य अवसंरचना की क्षमता का एक बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा।

)iv) ***ब्रांडिंग और विपणन सहायता*** .एफपीओ /एसएचजी /सहकारी समिति के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

)v) ***क्षमता निर्माण :***इस स्कीम में उद्यमिता विकास कौशल)ईडीपी) प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई हैखाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। :

अनुबंध- II

दिनांक को उत्तर 29.01.2026हेतु "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के भाग)क(और के उत्तर (ख) में संदर्भित अनुबंध

		वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2024-25		
क्रसं..	जिले	प्रस्तुत किए गए आवेदन	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	प्रस्तुत किए गए आवेदन	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	प्रस्तुत किए गए आवेदन	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण
1	बरेली	100	43	19	280	152	100	307	133	125
2	बदायूं	23	5	3	51	15	6	79	26	18
3	एटा	36	6	5	98	32	29	69	29	23
4	जौनपुर	60	33	11	325	186	163	254	94	79
5	कासगंज	50	5	1	232	55	49	85	12	12